

प्रेस नोट

दिनांक 20.10.2025

जनपद-संतकबीरनगर

मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान

- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 164 स्थानों पर 2729 वाहनों को किया गया चेक
- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 336 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले दो पहिया वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही
- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 22 चार पहिया वाहनों से उतरवायी गयी काली फिल्म
- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 13 चार पहिया वाहनों से उतरवाया गया हूटर
- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 17 चार पहिया वाहनों पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही
- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 34 चार पहिया वाहनों पर शासकीय तथा जाति सूचक शब्द लगे होने पर की गयी कार्यवाही
- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 03 वाहनों को किया गया सीज
- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 883 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी यातायात ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** पर्यवेक्षण में आज दिनांक 20.10.2025 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है। जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान

- ☐ *अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 154 स्थानों पर 2606 व्यक्तियों को किया गया चेक*
- ☐ *धारा 296 बीएनएस के तहत 01 अभियोग पंजीकृत कर 01 व्यक्ति को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय किया गया रवाना*
- ☐ *171 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया*
- ☐ *69 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही*
- ☐ *1223 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया*

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों व स्कूलों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरूक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारे में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारे में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 31 स्थानों पर 443 व्यक्तियों को चेक किया गया, 04 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही व 319 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 17 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया। थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 05 स्थानों पर 278 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 29 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया। महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 14 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 90 व्यक्तियों को चेक किया गया, 15 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया। थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 28 स्थानों पर 305 व्यक्तियों को चेक किया गया, 93 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 18 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया। थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 15 स्थानों पर 180 व्यक्तियों को चेक किया गया, 18 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 140 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 22 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 14 स्थानों पर 435 व्यक्तियों को चेक किया गया, 08 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 125 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 13 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया। थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 16 स्थानों पर 380 व्यक्तियों को चेक किया गया, 04 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 165 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 16 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 25 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 340 व्यक्तियों को चेक करते हुए धारा 296 बीएनएस के तहत 01 अभियोग पंजीकृत कर 01 व्यक्ति को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय किया गया रवाना, 30 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 200 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 20 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया। थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 06 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 155 व्यक्तियों को चेक किया गया, 134 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 21 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में संतकबीरनगर पुलिस द्वार दबिश के दौरान 01 वारण्टों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में-

01. थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 01.अमरनाथ पुत्र मुराली निवासी ददरा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री अखलाक अहमद, का0 धर्मेन्द्र कुमार।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6886 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 6886 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत लोहरौली से कालर द्वारा दो बाईक का आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1.बिन्द्रेष पुत्र रामप्रकाश निवासी ग्राम गरथौली थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) दुर्घटना में घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी0 सेमरियावां भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से घायल को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से सी0एच0सी0 सेमरियावां भेजवाया गया जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 अमरेन्द्र कुमार, आ0 सन्तोष शुक्ला, हो0चा0 सुरजीत कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 170 वाहनों से 1,97,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 20.10.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / सिद्धि व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 170 वाहनों से 1,97,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।